Invoking the provision of article 342 of the Constitution in relation to State of Punjab

4036. SHRI G.G. SWELL:
SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:

Will the Minister of WELFARE be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2705 given on 13th March, 1992 and Unstarred Question 1001 given in Rajya Sabha on 17th July, 1992 and state:

(a) whether there is any proposal to invole the provisions of Article 342 of the Constitution in the state of Punjab;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (c) Come representations were received to include certain communities in the list of Scheduled Tribes in the State of Punjab. These representations are under examination in the context of comprehensive revision of SC/ST lists.

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाणपत्र

3037. **श्री मूलचन्द मीणा:**
श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जाली प्रमाण पत्रों के सिलसिले में कोई शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें मिली है तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोग द्वारा कितनी शिकायतों के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही की गई है; और

(घ) आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (घ) यह सूचना राष्ट्रीय आयोग से एकत्र की जा रही है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग का दर्जा

4038. **श्री मूलचन्द मीणा:**
श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति / जनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है; यदि हां, तो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के उन व्यक्तियों की संख्या के संबंध में ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक राहत प्रदान की गई है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया है, यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए है; और

(ग) क्या आयोग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 12.3.92 से सांविधिक दर्जा प्रदान किया है। आगे सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) संविधान (पैसठवां) संशोधन अधिनियम, 1990 के अनुसार अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति आयुक्त के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का पुनर्गठन 12.3.1992 को किया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Voluntary organisations in Orissa

4039. SHRI MANMOHAN MATHUR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of centrally sponsored and foreign assisted voluntary organisations functioning in Orissa;

(b) how many of them are functioning in Kalahandi district of Orissa;

(c) What are their achievements and whether any audit of accounts/monitoring of achievement have been done; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Six.

(b) One.

(c) and (d) The grant-in-aid sanctioned by the Ministry was found to be utilised for the purposed for which it was meant. Monitoring of achievements for these organisations is a regular exercise through physical progress reports furnished by the organisations and periodic inspections through State Government and the Ministry. Grants to Voluntary Organisations are released only after getting their audited accounts and certified by a Charted Accountant.

Exploitation of Adivasis

4040. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Adivasis in the States of Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Bihar and other parts of the country are consistently being inhumanly exploited by money lenders; and

(b) if so, what action Government propose to take to save the Adivasis from the clutches of money lenders and their exploitation?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) In most of the States and Union Territories including Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa and Bihar, certain Acts/Regulations are in operation to regulate the business of money lending and to prevent Scheduled Tribes from exploitation by money lenders. Various State Government have also established Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development Corporations for providing financial assistance to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and are also implementing different welfare programmes.

*For Project formulation

Welfare Ministers' meeting

4041. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the outcome of Welfare Ministers' meeting of States and Union Territories held on the 14th September, 1992;

(b) whether any detailed discussion on various policies on reservation took place; and

(c) what are the proposals received from various states for implementing the same?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) No such meeting was held on 14.9.1992.

(b) and (c) Do not arise.

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा दी गई सहायता

@4041-क. मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली द्वारा कौन-कौन से पिछड़े वर्गों को सहायता दी जा रही है;

(ख) यह सहायता किस रूप से की जाती है; और

(ग) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस निगम ने किस-किस पिछड़े वर्ग के कितने-कितने व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने राज्य सरकारों तथा राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगमों को यह अनुरोध करते हुए हॉल ही में विस्तृत दिशानिर्देश भेजे है कि वे एन० बी० सी० एफ० डी० सी० के विचारार्थ तदनुसार परियोजनाओं को तैयार करें। प्रदान की जाने वाली सहायता मुख्यतः आवधिक ऋणों के रूप में होगी, जिसे राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग निगमों के माध्यम से दिया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

@@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 3778। 17 दिसम्बर, 1992 से स्थानांतरित।